(b) if so, the details thereof; and

(c) the funds set apart for the said purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOM PAL): (a) The Government of Punjab has informed that Milkfed Punjab has no programme to set up dairy farming cooperative societies in the urban areas of Punjab. However, the district level cooperative milk unions in all major urban areas are equipped to cater urban liquid milk and milk products requirements.

(b) and (c) Questions does not arise in view of (a) above.

Fund for Horticulture activities

2500. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) details of fund allocated to the State of Gujart by the Government of India for horticulture activities;

(b) whether Government of Gujarat has submitted a statement thereon;

(c) if so, the details of fund utilized; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOM PAL): (a) to (d) During the financial year 1998-99 as against an allocation of Rs. 461.84 lakhs, an amount of Rs. 177.36 lakh was released to the State Government of Gujarat for implementation of central sector/centrally sponsored schemes for the development of horticulture by the State Government. As per the latest information received from the State Government, the State Government have utilised Rs. 60.91 lakhs under various schemes.

परती भूमि को कृषि-योग्य भूमि में बदलने के लिए योजना

2501. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने कितनी-कितनी आवश्यकताओं के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की मांग की है;

(ग) क्या सरकार ने परती भूमि को कृषि-योग्य भूमि में बदलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में कितने क्षेत्र में ऐसी परती भूमि उपलब्ध है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (घ) परिभाषा के अनुसार, बंजर भूमि में पथरीली भूमि और अन्य ऐसी भूमि शामिल हैं जिसे कम लागत पर खेती के तहत नहीं लाया जा सकता। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा कृषि और सहकारिता विभाग की ओर से इस समय ऐसी कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं की जा रही जिसमें बंजर भूमि को कृष्य भूमि में परिवर्तित किया जाए। तथापि, कृषि और सहकारिता विभाग मृदा संरक्षण और भूमि के सुधार के लिए कई केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है यथा (i) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना (ii) क्षारीय मृदा के सुधार की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (iii) सोडिक मृदा के सुधार की विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना और (iv) क्षारीय मृदा के सुधार और विकास की यूरोपीय सहायता प्राप्त परियोजना।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की खरीद संबंधी व्यवस्था

2502. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूध के कम विक्रय-मूल्य और अधिक क्रय मूल्य होने के कारण दिल्ली दुग्ध योजना को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित औसत वार्षिक घाटा कितना है; और

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना सीधे दूध उत्पादकों से दूध की खरीद करती है और यदि नहीं, तो दूध की खरीद संबंधी क्या व्यवस्था है तथा इस समय किस मूल्य पर दूध खरीदा जाता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 (जनवरी, 99

तक) के दौरान योजना का कुल घाटा निम्नानुसार आंका गया है:-

वर्ष	अनन्तिम रूप से वर्षवार कुल घाटा (लाख रूपए में)
1997-98	5922.32
1998-99	
(जनवरी, 99 तक)	5845.63

(ग) योजना द्वारा दूध राज्य डेयरी संघों तथा पंजीकृत सहकारी समितियों से वार्षिक करार के आधार पर सीधे प्राप्त किया जाता है। इस समय दुग्ध (6.5 वसा तथा 9.0 एस.एन.एफ. निहित) अधिप्राप्ति मूल्य राज्य डेयरी संघों के लिए 13.50 रूपए प्रति किलोग्राम तथा सहकारी समितियों के लिए 13.25 रूपए प्रति किलोग्राम है।

वर्षा और बाढ़ से हुई हानि के लिए धनराशि

2503. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के लिए कृषि आपदा समिति द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि को अभी तक जारी नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) किन-किन राज्यों में जान-माल का कितना-कितना नुकसान हुआ है; और

(ङ) धनराशि को शीघ्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ङ) राष्ट्रीय आपदा राहत समिति (एन.सी.आर.सी.) राज्यों को विरल गंभीरता वाली आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एन.एफ.सी.आर.) से निर्मुक्त की जाने वाली सहायता राशि की मात्रा का अनुमोदन करती है। राष्ट्रीय आपदा समिति ने 15, मार्च, 1999 को आयोजित अपनी बैठक में, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल राज्यों को एन.एफ.सी.आर. से निर्मुक्त किए जाने हेतु 497.10 करोड़ रुपये की कुल सहायता का अनुमोदन किया है।

राज्यों से अभी तक मिली सूचना के अनुसार, 1998-99 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से 0.05 लाख व्यक्तियों तथा 1.09 लाख पशुओं की जानों को नुकसान होने के अतिरिक्त 75.32 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसलगत क्षेत्र, 15.63 लाख मकानों की क्षति हुई है।

Demand and Supply of Milk

2504. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the State-wise demand and supply position of milk; and

(b) whether Central assistance has been provided to the deficit States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) A Statement showing State-wise requirement and production of milk during 1997-98 is given in the Statement (*see* below)

(b) The central assistance is being provided to the States under the various central and centrally sponsored schemes for increasing the milk production.

Statement

Production and requirement of milk during 1997-98

Sl. No.	States	Milk Prod. (Prov) (000 MT)	Requirement@ of milk (000 MT)
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	4510	5968
2.	Arunachal Pradesh	44	82
3.	Assam	775	2065
4.	Bihar	3475	7975
5.	Goa	39	107
6.	Gujarat	4860	3723
7.	Haryana	4082	1516
8.	Himachal Pradesh	707	471
9.	Jammu & Kashmir	938	715
10.	Karnataka	3970	3980
11.	Kerala	2348	2557
12.	Madhya Pradesh	5378	6035
13.	Maharashtra	5193	7196
14.	Manipur	62	172
15.	Meghalaya	59	166
16.	Mizoram	20	68
17.	Nagaland	46	120
18.	Orissa	670	2860
19.	Punjab	7165	1791